भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
11.12.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2735 का उत्तर

दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए लोअर बर्थ आरक्षित करना

2735. श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के यात्रा टिकटों पर राजसहायता को पहले की तरह बहाल करने का विचार है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए लोअर बर्थ आरक्षित करने पर गंभीरता से विचार कर रही है;

(घ) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है, जहां बुलेट ट्रेन शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार का भविष्य में उत्तर प्रदेश में भी बुलेट ट्रेन चलाने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो इसे कब तक चलाए जाने की संभावना है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) और (ख): भारतीय रेल समाज के सभी वर्गों को किफायती सेवाएँ प्रदान करने को प्रयासरत रहती है और 2022-23 में यात्री टिकटों पर 56,993 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की है। यह रेल में यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को औसतन 46% की रियायत है। दूसरे शब्दों में

आसानी से समझने के लिए, यदि सेवा प्रदान करने की लागत 100 रुपए है, तो टिकट की कीमत केवल 54 रुपए है। यह सब्सिडी सभी यात्रियों के लिए जारी है। इसके अलावा, इस सब्सिडी राशि के अलावा विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) की 4 कोटियों, रोगियों की 11 कोटियों और छात्रों की 8 कोटियों के जैसी कई कोटियों के लिए रियायतें जारी हैं।

(ग): दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की गई हैं:

i. वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला यात्रियों को, सीटों की उपलब्धता होने पर स्वतः निचली बर्थ का आवंटन, भले ही कोई विकल्प न दिया गया हो।

ii. वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला यात्रियों और गर्भवती महिलाओं के लिए शयनयान श्रेणी के प्रत्येक सवारी डिब्बे में छह से सात निचली बर्थ, वातानुकूलित 3 टियर के प्रत्येक सवारी डिब्बे में चार से पांच निचली बर्थ और वातानुकूलित 2 टियर श्रेणियों के प्रत्येक सवारी डिब्बे में तीन से चार निचली बर्थ (रेलगाड़ी में उस श्रेणी के डिब्बों की संख्या के आधार पर) का संयुक्त कोटा निर्धारित करना।

iii. दिव्यांगजनों को राजधानी/शताब्दी प्रकार की सवारी गाड़ियों सहित सभी पैसेंजर/एक्सप्रेस सवारी गाड़ियों में शयनयान श्रेणी में चार बर्थ (दो निचली बर्थ सहित) और 3एसी/3ई में चार बर्थ (दो निचली बर्थ सहित) और आरक्षित सेकंड सिटिंग/वातानुकूलित कुर्सीयान में चार सीटों का आरक्षण कोटा निर्धारित करना, भले ही रियायत सुविधा उपलब्ध हो या नहीं।

iv. गाड़ी में खाली होने वाली निचली बर्थ को वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों या गर्भवती महिलाओं (जिन्हें मध्य/ऊपरी बर्थ आवंटित किया गया है) को प्राथमिकता के आधार पर आवंटित करना।

(घ) से (च): मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना भारत में हाई स्पीड रेल की एकमात्र स्वीकृत परियोजना है जो जापान सरकार की तकनीकी और वित्तीय सहायता से निष्पादन की जा रही हैं।

*****